भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 1038

गुरूवार, 13 फरवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन के लिए हानिकारक नीति

1038 डा. जॉन ब्रिटास:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ओयो द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत परिवर्तनों पर ध्यान दिया है, जो अविवाहित जोड़ों के साथ भेदभाव करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त नीति के पर्यटन पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या आकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ऐसी नीतियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी जो संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से प्राप्त अधिकारों के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय किसी भी वैधानिक प्रावधानों के तहत ओयो (ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लि.) को रेगुलेट नहीं करता है।

हालांकि, अपनी स्वैच्छिक वर्गीकरण योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय होटलों, रिजॉर्टों, बेड एंड ब्रेकफास्ट/होमस्टे, अतिथिगृहों, टेंट वाले आवासों एवं मोटल जैसी आवास इकाइयों का वर्गीकरण करता है।

भारत सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के माध्यम से प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) कानूनों के अधिनियमन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजारों आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को शासित करने वाले वाले ढांचे को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विभिन्न कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

*****